सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)

प्रश्न क्रमांक-1 केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश सुविधा के लिए पंजीयन कहाँ करना होगा?

उत्तर: उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल www.epravesh.nic.in पर प्रवेश के लिए पंजीयन सुविधा उपलब्ध है। आवेदक इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर, इन्टरनेट-कैफे अथवा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन प्रवेश आवेदन कर सकते हैं ।

प्रश्न क्रमांक-2 क्या प्रवेश हेतु पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ समस्त आवेदकों के लिए यह अनिवार्य है । किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व आवेदक को विभागीय पोर्टल पर पंजीयन करते हुए मूल दस्तावेजों का सत्यापन म.प्र. के किसी भी शासकीय महाविद्यालय से करना होगा ।

प्रश्न क्रमांक–3 ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीयन शुल्क कितना देना होगा?

उत्तर : आवेदक को पंजीयन शुल्क रू 100 एकमुश्त देय करना होगा किन्तु समस्त छात्राओं को प्रथम चरण में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुल्क से मुक्त रखा गया है । प्रथम चरण पंजीयन के पश्चात द्वितीय चरण के पंजीयन हेतु रू 250 एवं पंजीयन के तृतीय चरण में पंजीयन शुल्क रू 500 एकमुश्त देना होगा |

प्रश्न क्रमांक–4 पंजीयन शुल्क एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान किस प्रकार करना होगा ?

उत्तर : आवेदक पंजीयन शुल्क एवं प्रवेश शुल्क के भुगतान हेतु इन चार माध्यमों में से कोई माध्यम चुन सकते हैं -

(1) क्रेडिट कार्ड (क्रेडिट कार्ड) (2) डेबिट कार्ड (Debit कार्ड)

(3) नेट बैंकिंग (Net Banking) (4) यू.पी.आई.(UPI)

प्रश्न क्रमांक–5 पंजीयन शुल्क का भुगतान किये बगैर क्या मैं हेल्पसेन्टर जा कर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकता हूँ ?

उत्तर : हाँ किन्तु ध्यान रखें कि पंजीयन शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा होने की स्थिति में ही आपका आवेदन मान्य होगा। अत: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन राशि जमा करने का प्रमाण लेकर ही दस्तावेजों का सत्यापन करवाने जावें ताकि पंजीयन शुल्क जमा न करने के कारण प्रवेश के समय उनका आवेदन अमान्य न हो।

प्रश्न क्रमांक-6 क्या पंजीयन करवाते समय मुझे अपना आधार क्रमांक दर्ज करना होगा ?

उत्तर: आधार क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है | यदि आधार नंबर नहीं है तो तुरंत आधार कार्ड हेतु आवेदन करें | आवेदन करने पर एक ई रिफरेन्स क्रमांक आपको प्राप्त होगा उसे पंजीयन फॉर्म में दर्ज किया जाना होगा |

प्रश्न क्रमांक-7 क्या छूट प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय/संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए पोर्टल पर पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों / संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक आवेदक को संबंधित महाविद्यालय/संस्था में स्वयं जाकर आवेदन करना होगा। परन्तु उक्त छूट प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय/संस्था में प्रवेशित विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके प्रवेश की जानकारी ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल www.epravesh.nic.in पर उपलब्ध मॉडयूल में महाविद्यालय/संस्था द्वारा निर्धारित तिथि में दर्ज कर दी गई है ।

प्रश्न क्रमांक-8 दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों को लेकर शासकीय महाविद्यालय जाना होगा?

उत्तर : ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जानकारियों के संबंध में सभी मूल दस्तावेज लेकर जाना होगा । विशेष रूप से वे सभी मूल दस्तावेज जिनके आधार पर प्रवेश की पात्रता एवं मेरिट का निर्धारण होना है, जैसे: अंकसूची, जाति, संवर्ग, एन.सी.सी./एन.एस.एस., खेलकूद के प्रमाण-पत्र, असंगठित कर्मकार पंजीयन पत्र इत्यादि । आपको अपने आवेदन की अंतिम Version की दो प्रतियों को लेकर समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों के दो सेट्स के साथ हेल्पसेन्टर जाना होगा । आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट पर, आवेदक द्वारा प्रविष्टियों की जांच करने के उपरान्त (√) लगाने बाबत स्थान निर्धारित किया गया है। समस्त आवेदक प्रविष्टियों की सूक्ष्म जांच अवश्य करें ।

प्रश्न क्रमांक-9 दस्तावेजों के सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी ?

उत्तर : आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट पर, प्रमाणीकरण-अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों की जांच करने के लिए उपरान्त (√) लगाने बाबत स्थान निर्धारित किया गया है। प्रविष्टियों का मिलान मूल दस्तावेजों से होने के उपरान्त सत्यापनकर्ता प्रमाणीकरण-अधिकारी निर्धारित स्थान पर (√) लगाएगा तथा प्रमाणस्वरूप अपने हस्ताक्षर एवं नाम का उल्लेख करते हुए महाविद्यालय की मोहर आवश्यक रूप से लगायेगा ।

आवेदन पत्र की एक प्रति आवेदक को प्रदान की जावेगी तथा दूसरी प्रति दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ महाविद्यालय अपने पास रिकॉर्ड हेतु रखेंगे । आवेदन की दोनों प्रतियों पर आवेदक एवं सत्यापन-अधिकारी को हस्ताक्षर करने होंगे ।

विशेष: दस्तावेजों के सत्यापन एवं पोर्टल पर उसकी जानकारी प्रविष्ट करने के पश्चात् सत्यापनकर्ता अधिकारी, आवेदक को पोर्टल से प्राप्त Verification Slip देगा । सभी आवेदक इसको अवश्य प्राप्त करें, इसके अभाव में माना जायेगा कि दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है।

प्रश्न क्रमांक-10 सत्यापन के समय त्रुटि मिलने पर क्या करना होगा ?

उत्तर : सत्यापन के समय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने अथवा दर्ज जानकारी गलत होने पर प्रमाणीकरण-अधिकारी आपत्ति लेंगे, तब किसी इंटरनेट कैफे अथवा महाविद्यालय में स्थापित सहायता केंद्र में जाकर आपत्ति का निराकरण करें, तत्पश्चात आवेदन पत्र की दो प्रतियां प्रिंट कर पुनः प्रस्तुत कर सत्यापन कार्य करवाएं ।

प्रश्न क्रमांक-11 क्या दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् भी त्रुटि सुधार अथवा भरी गयी जानकारी में सुधार संभव है ?

उत्तर : एक बार सत्यापन करा लेने के बाद आवेदक द्वारा दर्ज जानकारियों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है । ऑनलाइन सत्यापन की प्रविष्टि पोर्टल पर करने के पश्चात् समस्त जानकारियाँ स्वतः लॉक हो जाती हैं ।

प्रश्न क्रमांक–12 विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों/विषय-समूह एवं उनमें उपलब्ध स्थानों (सीट्स) तथा फीस की जानकारी कैसे प्राप्त होगी ?

उत्तर: जिलेवार महाविद्यालय उनमें संचालित पाठयक्रमों/विषय-समूह एवं उपलब्ध स्थानों (सीट्स) तथा फीस की जानकारी ऑनलाइन विभागीय पोर्टल www.epravesh.nic.in पर important links के रूप में उपलब्ध है ।

प्रश्न क्रमांक-13 मैं महाविद्यालय, पाठ्यक्रम, विषय-समूह इत्यादि के कोड कहाँ से प्राप्त करूँगा ?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर महाविद्यालय, पाठ्यक्रम, विषय-समूह इत्यादि के कोड ढूंढने का विकल्प important links के रूप में दिया गया है जिससे आप कोड प्राप्त कर सकते हैं। अन्य अधिभारों के कोड (Code for Additional Weightage) प्राप्त करने की सुविधा आवेदक को पंजीयन फार्म भरते समय भी लिंक के रूप में उपलब्ध है ।

प्रश्न क्रमांक-14 मेरा नाम "अतुल कुमार शर्मा" है, जबकि ऑनलाइन पंजीयन फार्म में FirstName एवं LastName ही भरने की जगह दी गयी है, मैं अपना पूरा नाम कैसे प्रविष्ट करू?

उत्तर: आप "अतुल' को तो FirstName में तथा " कुमार शर्मा " को LastName में प्रविष्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप " अतुल कुमार " को तो FirstName में तथा "शर्मा" को LastName में प्रविष्ट कर सकते हैं। कृपया इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि कक्षा XII की अंकसूची में आपके नाम की जो Spelling दर्ज है वही सत्यापन के समय मान्य होगी।

प्रश्न क्रमांक–15 अधिकतम कितने महाविद्यालयों एवं पाठयक्रमों/विषय-समूहों का चयन किया जा सकता है?

उत्तर: अधिकतम 09 महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों का चयन किया जा सकता है

प्रश्न क्रमांक–16 दो अलग-अलग महाविद्यालयों में एक से अधिक पाठयक्रमों/विषय-समूहों का चयन करने पर कितना पंजीयन शुल्क लगेगा ?

उत्तर: दो अलग-अलग महाविद्यालयों में एक से अधिक पाठयक्रमों/विषय-समूहों का चयन करने पर भी पंजीयन शुल्क चरणांनुसार क्रमशः रूपये 100/250/500 ही लगेगा तथा दोनों महाविद्यालयों में कुल मिलाकर 09 विभिन्न पाठयक्रमों/विषय-समूहों की वरीयता दी जा सकती है ।

प्रश्न क्रमांक–17 क्या मैं स्वयं द्वारा दी गई महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों/विषय-समूहों की वरीयताएँ बदल सकता हूँ ?

उत्तर : हाँ, दस्तावेजों के सत्यापन के पूर्व कभी भी आपके द्वारा दी गई महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों / विषय-समूहों की वरीयताएँ बदली जा सकती हैं । इसके लिए आपको अपने Applicant-id एवं सीक्रेट-की से पोर्टल पर Login करना होगा ।

प्रश्न क्रमांक–18 क्या मैं वरीयता देते समय संकाय बदल सकता हूँ ?

उत्तर: हाँ, आप वरीयता देते समय संकाय भी बदल सकते हैं । परन्तु संकाय परिवर्तन की स्थिति में प्राप्तांकों के पांच प्रतिशत अंक कम कर तदनुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा । [देखें प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत की कण्डिका 2.6.(क) 5]

उदाहरण : एक आवेदक जिसने कक्षा 12वीं की परीक्षा गणित, रसायन एवं भौतिकी विषय के साथ उत्तीर्ण की है, वह वाणिज्य (कॉमर्स) संकाय को प्रथम वरीयता देते हुए दूसरे स्थान पर विज्ञान या अन्य संकाय को वरीयता दे सकता है । इसके साथ ही आवेदक तीसरे अथवा चौथे या अन्य किसी वरीयता क्रम पर कामर्स पाठ्यक्रम की पुनः वरीयता भी दे सकता है ।

प्रश्न क्रमांक-19 अगर मेरा पढाई के दौरान गेप हुआ है तो क्या मुझे नोटरी से गेप सर्टिफिकेट बनवाना होगा?

उत्तर : यदि आवेदक का पढाई के दौरान गेप है तो उसे नोटरी से गेप सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को निर्धारित प्रपत्र (निर्देश् पुस्तिका के संलग्नक 11) पर स्वप्रमाणित सर्टिफिकेट देना होगा ।

प्रश्न क्रमांक-20 आवेदक-आई.डी. (Applicant-id) क्या है एवं यह कैसे प्राप्त होती है ?

उत्तर : ऑनलाइन प्रवेश हेतु सफलतापूर्वक पंजीयन करने के उपरांत पोर्टल द्वारा आपको एक आवेदक-आई.डी. (Applicant-id) प्रदान किया जावेगा । इसे हमेशा संभाल कर रखे ।

प्रश्न क्रमांक-21 सीक्रेट-की (Secret-ज़्ey) क्या है? तथा इसे कैसे बनाया जाता है ?

उत्तर : ऑनलाइन प्रवेश सुविधा के अंतर्गत पंजीयन करने की प्रक्रिया के दौरान, आपको चार अंको का एक नंबर सीक्रेट-की (Secret-ज़्ey) के रूप में दो बार प्रविष्ट करना होता है। यही आपके द्वारा बनाया गया एक पासवर्ड है, और, इसे आपको याद रखना होगा। कृपया इस सीक्रेट-की को किसी अन्य व्यक्ति अथवा कियोस्क संचालक/कर्मचारी, महाविद्यालय/संस्था के कर्मचारी/अधिकारी को न देवे |

प्रश्न क्रमांक-22 सीक्रेट-की (Secret-ज़्ey) भूल जाने की स्थिति में, मैं उसे कैसे प्राप्त करूँगा ?

उत्तर : उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल www.epravesh.nic.in पर सीक्रेट-की को पुनः बनाने के लिए एक Reset Secret-ज़्ey माड्यूल उपलब्ध है। इस माड्यूल में आवेदक को सही-सही व्यक्तिगत जानकारियाँ प्रविष्ट करनी होंगी। ऐसा करने पर ही आवेदक नयी सीक्रेट-की स्वयं बना सकेगा । अत: ऑनलाइन आवेदन स्वयं ही भरें और दर्ज जानकारियों को अपने पास लिखकर भी रखें ताकि आवश्यकता पडने पर सही जानकारी दर्ज कर सकें ।

प्रश्न क्रमांक-23 बारहवीं कक्षा में पूरक होने पर मैं प्रवेश कैसे प्राप्त करूँगा ?

उत्तर : पूरक प्राप्त आवेदकों को भी पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है । पंजीयन उपरांत दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान भी करना होगा । पंजीकृत आवेदको को स्थान रिक्त रहने पर CLC चरण में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी ।

प्रश्न क्रमांक-24 : भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में, मैं जो भी परिवर्तन बार-बार करूँगा, क्या उसका कोई प्रमाण आवेदन पत्र पर अंकित होगा ?

उत्तर : हाँ, आपके द्वारा आवेदन पत्र में जितनी बार भी परिवर्तन किया जावेगा, उतनी बार आवेदन पत्र पर Applicant Version क्रमांक (1,2,3, ..., इत्यादि) बदलेगा तथा आप जो आवेदन-पत्र का प्रिंट-आउट प्राप्त करेंगे उस पर यह अंकित होगा ।

प्रश्न क्रमांक-25 : आवेदन पत्र पर अंकित Version क्रमांक की क्या उपयोगिता होगी?

उत्तर : दस्तावेजों के सत्यापन के समय, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अंकित Version क्रमांक का मिलान ऑनलाइन Verification Module में दर्ज Version क्रमांक से किया जावेगा । मिलान होने की अवस्था में ही आवेदन का Verification संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा। आवेदक ध्यान रखे कि अंतिम Version वाला आवेदन-पत्र ही दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करें । पुराना Version वाला आवेदन-पत्र मान्य नहीं है।

प्रश्न क्रमांक-26 आवेदन पत्र पर वेरिफिकेशन कोड कहाँ मिलेगा और इसका क्या उपयोग है ?

उत्तर : आवेदक को अपना पंजीयन शुल्क जमा करते समय इस कोड की आवश्यकता पड़ेगी । यह कोड फॉर्म पर ऊपरी हिस्से में प्रिंटेड रहता है । यह चार अक्षरों का कोड रहता है (उदाहरणार्थ FPGY) ।

प्रश्न क्रमांक-27 मेरी कक्षा 12वीं की अंकसूची में ग्रेड दिए गए हैं तब मैं किस प्रकार उसे ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करूँगा?

उत्तर : यदि आपकी अंकसूची में ग्रेड पॉइंट दिए गए है और अंकसूची पर समतुल्य अंको की गणना करने का सूत्र वर्णित है तो आप ग्रेड को अंको में बदलकर ही आवेदन में डालेंगे अन्यथा ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में बदलकर सीधे ही डालना होगा ।

प्रश्न क्रमांक-28 इंटरनेट की अंकसूची होने पर क्या प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है?

उत्तर : अहर्ताकारी परीक्षा की मूल अंकसूची के अभाव में सत्यापन हेतु इंटरनेट से डाउनलोड की गयी अंकसूची मान्य होगी। प्रवेश के समय भी मूल अंकसूची के अभाव में वचन-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करने पर प्रवेश मान्य होगा, किन्तु निर्धारित समयावधि में मूल अंकसूची अवश्य प्रस्तुत करनी होगी ।

प्रश्न क्रमांक-29 क्या प्रवेश के लिए अधिभार दिया जाता है ?

उत्तर : हाँ, इसके लिए विभाग द्वारा सत्र 2018-2019 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत में विस्तृत विवरण दिया गया है मान्य प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभार दिया जाता है ।

प्रश्न क्रमांक–30 : बी.ए. में विषय-समूह कैसे आवंटित होगा ?

उत्तर : प्रत्येक महाविद्यालय में बी.ए. पाठयक्रम में बहुत सारे विषय-समूह संचालित होते है, जबकि आवेदक को केवल एक ही विषय-समूह अपनी इच्छानुसार लेना होता है। महाविद्यालयों में विषय-समूह वार सीट्स की संख्या निर्धारित नहीं होती है, ऐसी स्थिति में विषय-समूह-वार आवंटन किया जाना संभव नहीं है । बी.ए. की वर्तमान ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में आवेदकों को मेरिट अनुसार महाविद्यालय आवंटित किये जावेंगे । विद्यार्थी को आवंटित महाविद्यालय में ही विषय-समूह प्रदान किये जावेंगे, अत: आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक केवल उन्ही महाविद्यालयों को चुने जिनमें उनके द्वारा चाहा गया विषय-समूह संचालित हो रहा हो । विषय समूह चयन करने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की ही होगी ।

प्रश्न क्रमांक–31 प्रवेश आवंटन पत्र कैसे प्राप्त होगा ?

उत्तर : उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल www.epravesh.nic.in पर मेरिट एवं प्रस्तुत वरीयताओं के आधार पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन प्रवेश आवंटन-पत्र जारी किये जावेंगे। आवंटन प्राप्त करने के लिये आवेदक को अपना Application-Id एवं Secret-ज्ey डालते हुए पोर्टल पर Login करना होगा । । शेष जानकारियों के लिए प्रवेश समय सारिणी पोर्टल एवं वेबसाइट पर जारी की जाती है ।

प्रश्न क्रमांक–32 आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय क्या पुनः दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा ?

उत्तर : हाँ, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य पुनः होगा ।

प्रश्न क्रमांक–33 आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय पुनः सत्यापन के दौरान त्रुटि मिलने पर प्रवेश आवंटन का क्या होगा ?

उत्तर : आवंटन पश्चात् महाविद्यालय में प्रवेश के समय अहर्ता पूर्ण नहीं करने अथवा दर्ज जानकारी गलत होने पर प्रवेश प्रदान नहीं किया जावेगा एवं आवंटन निरस्त किया जा सकता है ।

प्रश्न क्रमांक–34 क्या प्रवेश अन्य किसी कारण से भी निरस्त हो सकता है ?

उत्तर : हाँ, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय दिए गए वचन पत्रानुसार मूल दस्तावेज जमा नहीं कराने / निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करने / आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने / गलत जानकारी दिये जाने पर प्रवेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी । प्रवेश उपरान्त प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को होगा ।

प्रश्न क्रमांक–35 प्रवेश शुल्क का भुगतान कैसे करना होगा ?

उत्तर : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर प्रवेश शुल्क का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार ऑनलाइन करना होगा । शुल्क भुगतान होने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा ।

प्रश्न क्रमांक–36 प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Original-TC) उपलब्ध न होने पर भी क्या प्रवेश दिया जावेगा ?

उत्तर : प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Original-TC) उपलब्ध न होने पर भी वचन पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा, परन्तु निर्धारित तिथि तक मूल TC जमा ना करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न क्रमांक–37 प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह में प्रवेश नहीं लेने पर क्या होगा ?

उत्तर : नियमानुसार द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएं देना होगीं , पूर्व वरीयताओं में परिवर्तन किया जा सकेगा ।

प्रश्न क्रमांक–38 : पहले चरण में किसी भी वरीयता के विकल्प पर सीट आवंटित होने पर क्या मैं दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता हूँ ?

उत्तर : हां, आवेदक चाहे तो प्रथम चरण के सीट आवंटन को छोड़कर द्वितीय चरण के लिए अपने विकल्प चुन सकता है। ऐसे आवेदकों को दूसरे चरण में पुन: सम्मिलित करते हुए महाविद्यालय आवंटित किये जावेंगे ।

प्रश्न क्रमांक–39 पहले तीन चरणों में चुने गए महाविद्यालयों के विकल्पों में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश नहीं मिलने पर क्या होगा ?

उत्तर : CLC चरण में रिक्त रह गयी सीट्स पर महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह कर प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है ।

प्रश्न क्रमांक–40 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंत में महाविद्यालय स्तर पर रिक्त रह गए स्थानों पर कैसे प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर : रिक्त रह गयी सीटों पर महाविद्यालय स्तर की Counselling (CLC) में प्रवेश प्रदान किया जावेगा, लेकिन इसके लिए आवेदक का ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में पंजीकृत होना आवश्यक है ।

प्रश्न क्रमांक-41 मैंने गणित समूह से 12th उतीर्ण किया है एवं मेरा अतिरिक्त विषय जीवविज्ञान है, मैं जीवविज्ञान विषयों के विकल्प भरना चाहता हूँ इस हेतु मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर : आवेदक को सब्जेक्ट ग्रुप (12वीं) में जीवविज्ञान समूह का चयन ड्राप डाउन मेनू से करना होगा । आवेदक को कुल प्राप्तांकों में से गणित के अंक हटाकर जीवविज्ञान के अंक उसमें जोड़ना होगा तथा इस प्रकार प्राप्त अंकों को प्राप्तांकों की फील्ड में भरना होगा ।

प्रश्न क्रमांक-42 मैंने जीवविज्ञान समूह से 12th उतीर्ण किया है एवं मेरा अतिरिक्त विषय गणित है, मैं गणित विषयों के विकल्प भरना चाहता हूँ इस हेतु मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर : आवेदक को सब्जेक्ट ग्रुप (12वीं) में गणित समूह का चयन ड्राप डाउन मेनू से करना होगा । आवेदक को कुल प्राप्तांकों में से जीवविज्ञान के अंक हटाकर गणित के अंक उसमें जोड़ना होगा तथा इस प्रकार प्राप्त अंकों को प्राप्तांकों की फील्ड में भरना होगा ।

प्रश्नक्रमांक–43 ट्रान्सजेंडर को किस महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी?

उत्तर : ट्रान्सजेंडर को मात्र को-एड महाविद्यालय में ही प्रवेश की पात्रता होगी, कन्या अथवा बालक महाविद्यालय में नहीं ।

प्रश्न क्रमांक -44 क्या प्रवेश लेते समय फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करना जरुरी है ?

उत्तर : हाँ, फोटो एवं हस्ताक्षर फार्म के साथ अपलोड करना जरुरी है, क्योंकि नामांकन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाना है, अतः यह आवश्यक है ।

प्रश्न क्रमांक-45 असंगठित कर्मकार के बच्चों के लिए शुल्क में छूट का प्रावधान है ?

उत्तर : असंगठित कर्मकार (पंजीकृत) के बेटा-बेटी के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट का प्रावधान है ।

प्रश्न क्रमांक-46 मुख्यमंत्री मेधावी योजना क्या है ?

उत्तर : योजना की विस्तृत जानकारी www.mptechedu.org पर उपलब्ध है ।

प्रश्न क्रमांक-47 मैं विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इंस्पायर स्कॉलरशिप लेना चाहता / चाहती हूँ, इस हेतु मैं कौनसे विषय चयनित करूं ?

उत्तर : आवेदक यदि इंस्पायर स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहता है तो वह UG/PG में केवल निम्न Natural एवं Basic Science विषयों में से स्नातक स्तर पर इनके कॉम्बिनेशन तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कोई एक विषय का चयन करें.

The 18 Science subject such as (1) Physics, (2) Chemistry, (3) Mathematics, (4) Biology, (5) Statistics, (6) Geology, (7) Astrophysics, (8) Astronomy, (9) Electronics, (10) Botany, (11) Zoology, (12) Bio-chemistry, (13) Anthropology, (14) Microbiology, (15) Geophysics, (16) Geochemistry, (17) Atmospheric Sciences and (18) Oceanic Sciences

प्रश्न क्रमांक-48 क्या मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, महू के पाठ्यक्रमों में e-pravesh.nic.in के द्वारा प्रवेश आवेदन कर सकता हूँ ?

उत्तर : प्रदेश के 51 महाविद्यालयों में संचालित सामाजिक विज्ञानं केन्द्रों में दर्ज पाठ्यक्रमों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, महू हेतु भी e-pravesh.nic.in के द्वारा प्रवेश आवेदन कर सकते हैं ।

प्रश्न क्रमांक-49 क्या मैं पाणिनि संस्कृत विश्वद्यालय, उज्जैन के पाठ्यक्रमों में e-pravesh.nic.in के द्वारा प्रवेश आवेदन कर सकता हूँ ?

उत्तर : हाँ कर सकते हैं ।

*********** समाप्त ************